रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19032022-234309 SG-DL-E-19032022-234309

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/ फाल्गुन 26, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 549 No. 181] DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943 [N. C. T. D. No. 549

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मार्च, 2022

फा. सं. ईओ / सीबी / ईएनएफ / परिवहन / 20 / 35 / 075618669 / 23491.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) समय—समय पर संशोधित की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 117, धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (इ) (ज) एवं (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली, दिल्ली में पार्किंग स्थल के अनुरक्षण एवंम प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन करने हेतु प्रारूप जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 212 की उपधारा (i) के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए प्रकाशित किया जाता है इसके अतिरिक्त यह सूचना दी जाती है,

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति या उसके बाद सरकार द्वारा प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपित्त या सुझाव सचिव—सह—आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार परिवहन विभाग, 5 / 9 अंडर हिल रोड, दिल्ली — 110054 को या ई—मेल commtpt@nic.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

1864 DG/2022 (1)

प्रारूप नियम

संक्षिप्त शीर्षक और प्रांरभ	1	(1) इन नियमों को दिल्ली पार्किंग स्थल के अनुरक्षण एवंम प्रबंधन (—— संशोधन) नियम 2022 कहा जाएगा। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
नियम —16 में संशोधन	2	नियम 16 में दूसरे प्रोविज़ो की प्रविष्टि : बशर्ते कि परिवहन आयुक्त उपरोक्त नियमों के नियम 16 में उल्लिखित वाहनों की श्रेणियों के संबंध में सामान्य या विशिष्ट आदेश से पार्किग/कब्जा प्रभार को माफ/ कम कर सकता हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

नीरज भारती, विशेष आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th March, 2022

F. No. EO/CB/ENF/TPT/20/35/075618669/23491.—The following draft to amend the Delhi Maintenance and Management of Parking Places Rules, 2019, which are proposed to be made in exercise of the power conferred by clause (e), (h) and (i) of sub-section (2) of section 138, read with Section 117, sub-section (3) of Section 127 and clause (41) of section 2 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), as amended from time to time are hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054 or on e-mail at commtpt@nic.in.

DRAFT RULE

Short Title and Commencement	1	1) These rules may be called the Delhi Maintenance and Management of Parking Places (Amendment) Rules, 2022.
		2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Amendment in Rule-16	2	Insertion of second proviso in Rule 16 namely: Provided that the Commissioner of Transport may waive off/reduce the parking/custody charges by general or specific order in respect of the categories of vehicles mentioned in Rule 16 of above said rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ BHARATI, Special Commissioner (Transport)